न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3978–एक/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 29–08–14 पारित अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर प्रकरण क0 08/बी–121/2013–14.

1– पुरूषोत्तमलाल पिता मूलचन्द
2– भागचंद पिता मूलचन्द
3– किशनलाल पिता स्व0 देवदत्त
4– धनुषलाल पिता स्व0 देवदत्त
5– संतराम पिता स्व0 देवदत्त
6– लीलाराम पिता स्व0 देवदत्त
7– राजकुमार पिता स्व0 देवदत्त
8– मैनाबाई पति स्व. रामबाबू
सभी निवासी ग्राम कारीवाह, पनागर,
जिला जबलपुर, म0प्र0 ––– आवेदकगण

विरूध्द

नायब तहसीलदार, पनागर,
तह0 पनागर, जिला जबलपुर ––– अनावेदक

श्री एस0ए0आर0 सिद्दिकी, अभिभाषक – आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 03 अगस्त, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के प्रकरण कमांक 08/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29–08–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम उमरिया प.ह.नं0 6 स्थित भूमि खसरा नं0 151/1 तथा 151/2 रकबा 0.97 हे0 पर कॉलम नं0 12 में

पुराने अभिलेख अनुसार मुदा मवेशी, मरघट तथा बागरफा मकान रास्ता कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदनपत्र ग्रामवासियों व्दारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपने आदेश दिनांक 21–03–13 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के कॉलम नं0 12 में कम्प्यूटर अभिलेख में मुदा मवेशी, मरघट एवं बागरफा मकान आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की और विलम्ब को माफ करने हेतु सामयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनाक 29–04–14 व्दारा धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक 21–05–14 को नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–05–14 व्दारा अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनाक 29–08–14 व्दारा खारिज किया। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण व्दारा विचारण न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपने अधिवक्ता को अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रदाय की गयी थी, किन्तु अधिवक्ता व्दारा भूलवश प्रमाणित प्रतिलिपि के स्थान पर उसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। इस त्रुटि के सुधार का अवसर आवेदकगण को प्रदान किया जाना चाहिये था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील सुनवायी हेतु ग्राह्य किये जाने के बाद तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने पर बिना आवेदकगण को अवसर

दिये अपील तकनीकी आधार पर खारिज करने में गलती की है। उनका यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जो विधि के प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के विपरीत है। उनका अन्त में यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि सन 1971 के पूर्व तथा पश्चात आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। नायब तहसीलदार ने बिना किसी साक्ष्य व प्रमाण के प्रश्नाधीन भूमि के खसरा नं0 12 में मवेशी, मरघट, रास्ता आदि दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5/ तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं एवं दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि नायब तहसीलदार, पनागर ने ग्रामवासियों के आवेदनपत्र के आधार पर दिनांक 04–12–12 को प्रकरण दर्ज किया और हल्का पटवारी को स्थल पंचनामा सहित प्रतिवेदन देने के आदेश दिये और प्रकरण दिनांक 13–12–12 को नियत किया। प्रकरण नियत दिनांक को नहीं लेते हुए दिनांक 27–12–12 को लिया गया और प्रकरण में प्रवाचक व्दारा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से आगामी तिथि नियत की। आगामी तीन पेशियॉ पीठासीन अधिकारी अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त रहने से प्रवाचक व्दारा बढ़ायी गयी और प्रकरण दिनांक 07–03–13 को नियत किया। नियत दिनांक 7–3–13 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से प्रकरण में प्रवाचक व्दारा दिनांक 21–03–13 नियत किया। दिनांक 21–03–13 को नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित कर पटवारी को अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण जो राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज हैं, को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जो संहिता के प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के विपरीत है और ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ नायब तहसीलदार ने अभिलेख पृष्ठ 43 पर पटवारी हल्का नं0 6 की रिपोर्ट उपलब्ध है। पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन में खसरा नं0 151/1 रकबा 0.48 पुरूषोत्तम, भागचन्द्र आदि तथ खसरा नं0 151/2 रकबा 0.49 डि0 छोटेलाल आदि के नाम दर्ज होना तथा भूमि खाली (पड़ती) होकर हरिजन व्यक्तियों के मकान बने होना दर्शाया है। प्रश्नाधीन भूमि पर मुदा मवेशी, मरघट या रास्ता होना पटवारी व्दारा अपने प्रतिवेदन में अंकित नहीं किया गया हैं। राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में वर्ष 1909–10 के मिसल बन्दोवस्त के अनुसार ख0नं0 214 रकबा 2.63 माधो भैयालाल स्यामलाल के नाम दर्ज होना तथा कैफियत में बगीचा आम दर्ज होना दर्शाया है। ऐसी दशा में बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य व आधार के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के खसरा पंचसाला के कॉलम नं0 12 में मुदा मवेशी, मरघट आदि दर्ज करने के आदेश देने में नायब तहसीलदार व्दारा त्रुटि की गयी है। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार व्दारा स्वमेव गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है तथा धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुध्दिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है अर्थात संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है और कोई नवीन प्रविष्टि करने के आदेश धारा 115/116 के अन्तर्गत नहीं दिये जा सकते। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यदि आवेदकगण व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी थी तो उसे प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाना चाहिये था। अपील सुनवायी हेतु ग्राह्य किये जाने तथा विलम्ब का धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार करने के बाद प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने पर बिना अवसर दिये तकनीकी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील खारिज करना विधिसंगत नहीं

है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29–08–14 तथा 21–05–14 तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 21–03–13 निरस्त किये जाते हैं। प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 151/1 रकबा 0.48 हे0 तथा 151/2 रकबा 0.49 हे0 कुल रकबा 0.97 हे0 कृषि भूमि पूर्ववत संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर.